ई–मेल

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड, भोपाल

क/मंडी/प्रांगंण/5/1/ब/गुना/ 638 भोपाल,दिनांक 11/7/2019

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.... जिला–........................... (म.प्र.)

विषय :– सहकारी- संस्थाओं को आवंटित भूखण्डों के संबध में।

––0––

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि प्रदेश की अनेको कृषि उपज मण्डी सामितियों द्वारा सहकारी संस्थाओं को विगत कई वर्ष पूर्व भूखण्डों का आवंटन किया गया है, जिनका संस्थाओं द्वारा आज दिनांक तक विधिवत अनुबंध संपादित नही किये गये है और ना ही भूखण्डों पर समयावधि में निर्माण किया गया और ना ही भूखण्डों का लीजरेन्ट एवं भू–भाटक की राशि मण्डी में जमा की गयी है।

ऐसी स्थिति में उक्त भूखण्डों का आवंटन निरस्त किये जाने हेतु मण्डी समितियों द्वारा बैठक में उक्त आशय का प्रस्ताव पारित करते हुये नियमानुसार आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही करते हुये म.प्र.कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम–2009 में विहित प्रावधान के अंतर्गत भूखण्डों के आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कार्यवाही प्रबंधसंचालक महोदय द्वारा अनुमोदित-

उप संचालक (प्रांगण)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क/मंडी/प्रा./ 5/1/ब/गुना / 639 भोपाल दिनांक 11/7/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय............................ (समस्त)
2. कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग......................... (समस्त)

उप संचालक (प्रांगण)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल